SPEED POST

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(A Constitutional Body under Article 338A of the Constitution of India)

File No. PC/1/2019/STGMH/ATRAPE/RU-IV Dated: 17.05.2019

To

1. **The Chief Secretary**,
   Government of Maharashtra,
   Mantralaya Annexe,
   Mumbai -32.

2. **The Additional Chief Secretary**,
   Home Department,
   Government of Maharashtra,
   Mumbai

3. **The Principal Secretary**,
   Tribal Welfare Department,
   Government of Maharashtra,
   Mantralaya Annexe,
   Mumbai -32.

4. **The Director General of Police,**
   Maharashtra,
   Mumbai.

5. **The District Collector**,
   Chandrapur District,
   Maharashtra.

Sub: Press clipping appeared in Lokmat News Network (Marathi Edition) dated 16.04.2019 regarding rape in tribal hostel at Chandrapur District, Maharashtra.

Sir/Madam,

I am directed to enclose copy of Tour Report and recommendations of the NCST in the matter of on-spot Inquiry into incident of rape of Scheduled Tribe girls in tribal hostel at Tehsil – Rajura, District –Chandrapur, Maharashtra undertaken by Smt. Maya Chintamn Ivnate, Hon'ble Member, National Commission for Scheduled Tribes (NCST) on 02.05.2019 for necessary action.

It is requested that action taken report on the Commission's recommendations in the case may be sent to the Commission within 15 days from receipt of this letter for placing before the Hon'ble Commission.

Yours faithfully,

(Y.K. Bansal)
Research Officer
Ph. 24645826

Copy to: - SAS, NIC, NCST.

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल

File No: PC/01/2019/STGMH/ATRAPE/RU-IV (Ro-BH)

इन्फैंट जीजस इंग्लिश पब्लिक हाईस्कूल, राजुरा, जिला चंद्रपुर में अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं के साथ दुष्कर्म किये जाने संबंधी जाँच रिपोर्ट

चन्द्रपुर के अनुसूचित जनजाति हॉस्टल मे बलात्कार की घटना के सम्बंध मे लोकमत समाचार पत्र (मराठी एडिशन में) दिनांक 16–04–2019 को प्रकाशित समाचार पर कार्यवाही आयोग मुख्यालय नई दिल्ली से की गई। आयोग मुख्यालय नई दिल्ली द्वारा जिला कलेक्टर तथा पुलिस अधीक्षक, चन्द्रपुर को दिनांक 16–04–2019 को नोटिस जारी किया गया। दिनांक 22–04–2019 को पुलिस अधीक्षक चन्द्रपुर द्वारा आयोग को रिपोर्ट भेजी गई। माननीय सदस्या श्रीमती माया चिंतामन इवनाते ने दिनांक 03–05–2019 को जिला चन्द्रपुर (महाराष्ट्र) पहुँच कर घटना स्थल की जॉच की। जाँच के दौरान माननीय महोदया पीडिताओं के अभिभावकों से मिली एवं जिले के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक ली। इस जाँच दल में सुश्री दीपिका खन्ना, अनुसंधान अधिकारी, भोपाल क्षेत्रीय कार्यालय राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग तथा श्री सुधीर आतराम, माननीय सदस्य महोदया के निजी सचिव भी सम्मिलित थे।

घटना की पृष्ठभूमिः

इन्फैंट जीजस इंग्लिश पब्लिक हाईस्कूल, राजुरा, जिला चन्द्रपुर महाराष्ट्र शासन के निर्णय दिनांक 03–11–2011 के अनुसार नामांकित शाला का दर्जा दिया गया था। वर्तमान शिक्षा सत्र 2018–19 मे 291 अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थी अध्ययनरत थे। जिसमे 162 छात्र, 129 छात्रायें माता अनुसूईया आवासीय हॉस्टल मे रहते थे। इन्फैंट जीजस इंग्लिश पब्लिक हाईस्कूल, राजुरा, जिला चन्द्रपुर तथा माता अनुसूईया आवासीय हॉस्टल के संचालक श्री सुभाष धोटे है। श्री सुभाष धोटे चन्द्रपुर के भूतपूर्व विधायक भी है। माता अनुसूईया आवासीय हॉस्टल को विगत तीन वर्षो में निम्नानुसार राशि दी गई :–

क्रमांक	शिक्षा सत्र	विद्यार्थियों की संख्या	अनुदान राशि
1	2016–17	274	1,29,80,000 / –
2	2017–18	303	1,49,57,687 / –
3	2018–19	291	1,45,25,000 / –

दिनांक 06–04–2019 को इन्फैंट जीजस इंग्लिश पब्लिक हाईस्कूल, राजुरा, जिला चन्द्रपुर मे अध्ययनरत दो अनुसूचित जनजाति की छात्राओं को जिनकी उम्र क्रमशः 11 एवं 12 वर्ष है, वे

Smt. Maya Chintamn Ivnate
Member
National Commission for Scheduled Tribes
Govt. of India
New Delhi

कक्षा 5 व 6 की छात्राये है, को ग्रामीण डॉ. कटवारे के निजी क्लीनिक में एबडॉमिनल पेन, पेशाब करने मे दर्द, घबराहट, कुछ भी बताने मे असमर्थ (semi – conscious state, completely disoriented) होने के कारण छबन पांडूरंग पाचरे, अधीक्षक माता अनुसूईया आवासीय हॉस्टल, राजुरा, जिला चन्द्रपुर ने भर्ती किया। लडकियों की गंभीर हालत के कारण डॉ. कटवारे ने उसी दिन उन्हें जिला अस्पताल चन्द्रपुर मे रेफर किया। अधीक्षक, माता अनुसूईया आवासीय हॉस्टल, राजुरा, जिला चन्द्रपुर द्वारा शाम के समय प्रकल्प कार्यालय जनजातिय विभाग चन्द्रपुर को उक्त घटना के संदर्भ में सूचित किया। दिनांक 07–04–2019 को छात्राओं के अभिभावकों को सूचित किया गया कि उनकी पुत्रियां अस्वस्थ होने के कारण डॉ. कटवारे के अस्पताल मे भर्ती हैं। अभिभावकों ने पाया कि उनकी पुत्रियां घबराहट एवं कुछ भी बताने मे असमर्थ (semi – conscious state, completely disoriented) हैं। डॉ. कटवारे ने अभिभावकों को कहा कि वे अपनी पुत्रियों को जिला अस्पताल चन्द्रपुर ले जायें। किन्तु अधीक्षक माता अनुसूईया आवासीय हॉस्टल, राजुरा, जिला चन्द्रपुर ने पीडित छात्राओं को जिला अस्पताल चन्द्रपुर के स्थान पर डॉ. विवके मनोहर बांबोले, मेंदुविकार व मनोविकार, चन्द्रपुर के अस्पताल ले गये। डॉ. बांबोले ने छात्राओं के अभिभावकों को बताया कि उनकी पुत्रियां डर के कारण कुछ भी बताने में असमर्थ है। अतः इन्हे आप अपने घर पर ले जाये। डाक्टर ने कुछ दवाईयां भी लिखी। अभिभावक डाक्टर की सलाह के बाद दवाईया लेकर अपनी पुत्रियों के साथ घर चले गये। इस घटना की खबर कुछ समाज सेवी संस्थाओं तक पहुचीं। अभिभावकों से सम्पर्क कर तथा उन्हे समझा बुझाकर ये समाजसेवी अभिभावको को व पीडिताओं को दिनांक 15–04–2019 को पुलिस स्टेशन लेकर गये। पुलिस द्वारा बच्चियों को जिला अस्पताल, चन्द्रपुर में मेडिकल हेतु ले जाया गया। जहाँ दोनों पीडिताओं व अभिभावकों को आधी रात तक प्रतीक्षा करवाई गई और फिर कहा गया कि रेडियोलॉजिस्ट नही होने के कारण उनका मेडिकल नहीं करवाया जा सकता है। दिनांक 16–04–2019 अभिभावक पुनः अस्पताल पहुंचें जहाँ पर उन्हे फिर दिन भर प्रतीक्षा कराई गई। एडवोकेट प्रोमीता गोस्वामी (सामाजिक कार्यकर्ता) पीड़ितों से मिलीं। सामाजिक कार्यकर्ता एडवोकेट प्रोमीता गोस्वामी के द्वारा कलेक्टर तथा चन्द्रपुर मेडिकल कॉलेज के डीन से सम्पर्क करने के पश्चात रात्रि 8 बजे पीडितों की सोनोग्राफी की गई। सोनोग्राफी की रिपोर्ट अभिभावकों को नहीं दी गई। सोनोग्राफी की रिपोर्ट में छात्राओं के साथ शारीरिक शोषण की पुष्टि हो गई। दिनांक 16–04–2019 को सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा अन्य छात्राओं और उनके अभिभावकों से सम्पर्क किया गया जिससे ज्ञात हुआ कि 18 अन्य छात्राओं के साथ भी शारीरिक शोषण किया गया हैं। प्रशासन के अनुसार दिनांक 12–04–2019 को एफ.आई.आर. दर्ज की गई, जबकी अभिभावकों के अनुसार दिनांक 15–04–2019 की रात को एफ.आई.आर. दर्ज की गई। एफ.आई.आर. मे भा.द.वि. 376 (A)

Smt. Maya Chintamn Ivnate
Member
National Commission for Scheduled Tribes
Govt. of India
New Delhi

(बी), R/W4 POCSO एक्ट 2012 रात 22:48 बजे दर्ज की गई। पुलिस अधीक्षक, चन्द्रपुर द्वारा आयोग को दी गई जानकारी अनुसार प्रकरण की गम्भीरता को देखते हुये सुश्री रेखा काले, महिला पुलिस अधिकारी को प्रकरण की जाँच सौपी गई। दिनांक 13–04–2019 को अभियुक्त छबन पांडूराम पाचरे, 14–04–2019 को अभियुक्त नरेन्द्र लक्ष्मण राव विरूढकर, सहायक अधीक्षक को गिरफ्तार कर दिनांक 20–04–2019 तक रिमांड पर भेजा गया। दिनांक 15–04–2019 को ही पुलिस विभाग द्वारा प्रकरण की जाँच महिला पुलिस अधिकारी से लेकर श्री शंकर देशमुख, सब डिवीजनल पुलिस अधिकारी को सौपी गई। दिनांक 15–04–2019 को एफ.आई.आर. में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 संशोधित 2015 की धाराएं 3 (i) (w) 3 (2)(V) लगाई गई। दिनांक 16–04–2019 को लता मधुकर कनाके, कल्पना माधव ठाकरे, सहायिका को गिरफ्तार किया गया। दिनांक 19–04–2019 को वैकटास्वामी बोंडइया, चौकीदार को भी गिरफ्तार किया गया। जाँच अधिकारी द्वारा दिनांक 20–04–2019 को सभी अभियुक्तों को विशेष न्यायालय में पेश किया गया, सभी अभियुक्तों को दिनांक 20–04–2019 तक रिमांड पर रखा गया। दिनांक 20–04–2019 को पुलिस महानिदेशक महाराष्ट्र शासन द्वारा प्रकरण को सी.आई.डी. को सौपने के आदेश दिये गये।

उक्त प्रकरण के सम्बंध में दिनांक 18–04–2019 को ज्योत्सना पत्नी श्री शांताराम कोडापे तथा अन्य ने महाराष्ट्र शासन के विरूध्द मा. उच्च न्यायालय खंडपीठ, नागपुर में फौजदारी रिट याचिका क्रमांक 342/2011 दाखिल की गई। उक्त प्रकरण पर मा. उच्च न्यायालय खंडपीठ, नागपुर द्वारा कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक तथा डीन शासकीय मेडिकल कॉलेज, चन्द्रपुर को प्रकरण के सम्बंध मे जाँच करने हेतु विशेष सलाह दी गई। मा. उच्च न्यायालय खंडपीठ, नागपुर ने प्रति छात्रा रु. 50,000/– मा. न्यायालय मे जमा करने के आदेश दिए। साथ ही सत्र व जिल्हा न्यायाधीश, चन्द्रपुर की अध्यक्षता में चार सदस्यीय समिति का गठन करने का आदेश दिया गया, जो निम्नानुसार है :–

क्रमांक	नाम	पदनाम
1	श्रीमती एस.एस. अन्सारी (अध्यक्ष)	अतिरिक्त सत्र एवं जिल्हा न्यायाधीश, चन्द्रपुर
2	श्रीमती प्रभावती एकुरे (सदस्या)	सहायक पुलिस निरीक्षक
3	श्रीमती सीमा गजभिये	तहसिलदार, गोंडपिपरी
4	डॉ. दिप्ती श्रीरामे (सदस्या)	महाविद्यालय, चन्द्रपुर

Smt. Maya Chintamn Ivnate
Member
National Commission for Scheduled Tribes
Govt. of India
New Delhi

मा. उच्च न्यायालय खंडपीठ, नागपुर द्वारा दिनांक 22–04–2019 को दोपहर 2:30 बजे प्रकरण पर सुनवाई की तारीख दी गई। दिनांक 26–04–2019 को उक्त याचिका को उच्च न्यायालय द्वारा निष्कासित किया गया।

दिनांक 18–04–2019 को श्रीमती प्रतिभा गजभिये, क्षेत्रीय समन्वयक, महिला एवं बाल विशेष सेल, टाटा इंस्टीटयूट ऑफ सोशल साइन्स अमरावती व नागपुर विभाग को प्रकरण मे सहयोग करने हेतु पत्र लिखा गया। श्रीमती प्रतिभा गजभिये इस प्रकार के प्रकरणों मे कार्य करने का 17 वर्ष का अनुभव है। बाल मानव शास्त्री एवं पांच अन्य महिला अधिकारीयों को मिलाकर प्रकरण की विस्तृत जॉच करने के लिए प्रशासन द्वारा पृथक समिति का गठन किया गया, गठित की गई समिति निम्नानुसार है :–

क्रमांक	नाम	पद / विभाग
1	श्रीमती प्रतिभा गजभिये	क्षेत्रीय सहायक, टी.आई.एस.एस.
2	श्रीमती एकुरे	सहायक पुलिस निरीक्षक
3	डॉ. पायल तालुकदार	अटल आरोग्य वाहिणी आरोग्य सहायक
4	श्रीमती पी.एन. भुरके	कनिष्ठ शिक्षण विस्तार अधिकारी (पांढरकवडा प्रकल्प कार्यालय)
5	श्रीमती रत्ना	कनिष्ठ शिक्षण विस्तार अधिकारी (पांढरकवडा प्रकल्प कार्यालय)
6	श्रीमती इशरत जहाँ	वरिष्ठ सलाहकार, वेस्ट मुंबई

इन्फैंट जीजस इंग्लिश पब्लिक हाईस्कूल, राजुरा, जिला चन्द्रपुर की स्थलीय जॉच

माननीय श्रीमती माया चिंतामन इवनाते, सदस्या राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली तथा जॉच दल द्वारा इन्फैंट जीजस इंग्लिश पब्लिक हाईस्कूल, राजुरा, जिला चन्द्रपुर के भीतर बने माता अनुसूईया आवासीय हॉस्टल की स्थलीय जाँच की गई। जिसके जाँच बिन्दु निम्नानुसार हैं :–

- ❖ बोर्डिग, स्कूल के मुख्य भवन के भीतर ही बना है। जिसमें बालकों के लिए नीचे कमरें बने हैं तथा बालिकाओं के लिए पहली मंजिल पर कमरें बने हैं।
- ❖ कमरो के भीतर दो टियर एवं तीन टियर के बेड लगे हैं, जिनमे गद्दे लगे हैं। कमरों के साथ ही बाथरूम एवं टॉयलेट हैं। कमरों की जॉच करने पर यह अनुभव हुआ कि वहाँ पर साफ–सफाई एवं रखरखाव का अभाव हैं।

Smt. Maya Chintamn Ivnate
Member
National Commission for Scheduled Tribes
Govt. of India
New Delhi

- ❖ बच्चों के भोजन पकाने हेतु रसोई जैसी कोई जगह नहीं है। रसोई बनाने के लिए खुले में एक शेड डालकर छोड़ दिया गया है। भोजन खाने के लिए डायनिंग हॉल का कमरा बहुत ही छोटा है, जिसमें खानपान की सामग्री रखने का स्टोर रूम जैसा बना है। पूछने पर ज्ञात हुआ कि अधिकतर बच्चे गैलरी की जमीन पर बैठकर ही भोजन करते थे।

- ❖ अधीक्षक, छबन पांडूरंग पाचरे का कमरा इस भवन के निकट ही बना है। जिसका मुख्य दरवाजा तो पुलिस द्वारा सील किया हुआ था। आयोग को वहां पर यह बताया गया कि अधीक्षक के घर का एक दरवाजा सीधा हॉस्टल के भवन मे खुलता है, जिससे उसका हॉस्टल मे तथा बालिकाओं का उसके कमरे में रात्रि के समय आना–जाना किसी को ज्ञात नहीं होता था।

- ❖ आयोग को यह भी बताया गया कि अधीक्षक के कमरें से तथा कमरे के बाहर से गर्भ निरोधक वस्तुएं भी प्राप्त हुई हैं।

- ❖ हॉस्टल मे सिक रूम नही था, आवासीय बच्चों का समय – समय पर होने वाली चिकित्सीय जाँच नही होती थी।

- ❖ हॉस्टल में सी.सी.टी.वी. कैमरा केवल बालकों के कमरों के बाहर लगा था। बालिकाओं के कमरों के बाहर सी.सी.टी.वी. कैमरा नही लगे थे। पूछताछ पर यह भी जानकारी प्राप्त हुई की सी.सी.टी.वी. कैमरा की रिर्काडिंग केवल दिन में ही की जाती थी, रात में सी.सी.टी.वी. कैमरा बंद कर दिये जाते थे।

- ❖ बालिकाओं के छात्रावास मे नियमानुसार महिला अधीक्षिका की नियुक्ति आवश्यक है। जबकि उक्त छात्रावास मे पुरूष अधीक्षक तथा सहायक अधीक्षक नियुक्त थे।

- ❖ आयोग के जाँच दल ने इन्फैंट जीजस इंग्लिश पब्लिक हाईस्कूल, राजुरा, जिला चन्द्रपुर के प्रधानाचार्य श्री रफीक अन्सारी से भी पूछताछ की। वे विगत 14 वर्ष से प्राचार्य हैं विद्यालय में वे कक्षा 9 व 10 वीं को अंग्रेजी पढ़ाते हैं। उन्होने बताया कि उन्हें इस घटना के बारे मे पूर्व में कोई जानकारी नहीं थी। आयोग द्वारा उनसे यह पूछा गया कि स्कूल की पेरेन्ट मीटिंग में हॉस्टल में रहने वाले अनुसूचित जनजाति के बच्चों के अभिभावक आते थे ? तो उन्होने बताया कि पेरेंट मीटिंग नही होती थी।

- ❖ स्कूल की कुछ अध्यापिकाओं से भी चर्चा हुई। सभी अध्यापिकाओं ने यह बताया कि उन्हे इस घटना के बारे में कुछ भी ज्ञात नही था। लोकल न्यूज तथा समाचार पत्रों से ही उन्हे यह ज्ञात हुआ।

Smt. Maya Chintamn Ivnate
Member
National Commission for Scheduled Tribes
Govt. of India
New Delhi

पीडिताओं के अभिभावकों से प्राप्त जानकारी :–

जाँच दल द्वारा तीन पीडिताओं के अभिभावकों से घटना के सम्बंध में जानकरी ली गई।

(अ) श्रीमती मनीषा देवाकर गेडाम (जाति गोंड) पति श्री देवाकर गेडाम, रहवासी ग्राम मुरती, तहसील राजुरा, जिला चन्द्रपुर की बेटी अनुष्का, उम्र 9 वर्ष कक्षा 3 में, इन्फैंट जीजस इंग्लिश पब्लिक हाईस्कूल, राजुरा, जिला चन्द्रपुर में विगत तीन वर्षो से अध्ययनरत थी। श्री देवाकर गेडाम की कुल तीन संतान हैं जिसमे दो पुत्रियां एवं एक पुत्र हैं। परिवार का भरणपोषण श्री देवाकर एवं उनकी पत्नी श्रीमती मनीषा के द्वारा मजदूरी करके होता है। परिवार में तीन एकड़ भूमि है जो उनके पिता के नाम पर है। पीडिता अनुष्का की माँ श्रीमती मनीषा ने बताया कि उनकी बेटी माता अनुसूईया आवासीय हॉस्टल में पिछले तीन वर्ष से रहती थी उनकी बेटी ने इस घटना के बारे मे उन्हे पहले कुछ नही बताया था। जब अस्पताल में लडकियों का मेडिकल किया गया तब उन्हे इस घटना के बारे मे जानकारी मिली। उन्होने कहा कि वे चाहती हैं कि अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। भविष्य मे मै अपनी बेटी को अपने साथ रखकर ही पढाऊंगी।

(ब) श्रीमती शिन्दू बाई शिरनाके (जाति गोंड) पति श्री बंदू शिरनाके, रहवासी ग्राम मुरती, तहसील राजुरा, जिला चन्द्रपुर की बेटी तृप्ती, उम्र 11 वर्ष, कक्षा 4 में इन्फैंट जीजस इंग्लिश पब्लिक हाईस्कूल, राजुरा, जिला चन्द्रपुर मे विगत तीन वर्षो से अध्ययनरत थी। श्री बंदू शिरनाके की कुल तीन संतान है जिसमे एक लड़का व दो लड़कियां हैं। बेटा चेतन तथा बेटी तृप्ती इन्फैंट जीजस इंग्लिश पब्लिक हाईस्कूल, राजुरा, जिला चन्द्रपुर में पढ़ते हैं तथा माता अनुसूईया आवासीय हॉस्टल मे तीन वर्षो से रहते थे। दिनांक 06–04–2019 को स्कूल की ओर से उनकी पुत्री को राजुरा, के अस्पताल ले जाया गया, वहाँ से चन्द्रपुर ले जाया गया। चन्द्रपुर से लौटने के पश्चात उन्होने अपनी पुत्री से पूछा कि दिन भर क्यो सोती रहती हो, चेहरा क्यो सूजा हुआ हैं, बेटी कुछ नही बोली। डॉ. विवके मनोहर बांबोले द्वारा दी गई दवाईयों के असर के कारण वे रात व दिन सोती रहती थी। फिर जब मेडिकल कराया गया तब पता चला की उका शारीरिक शोषण हुआ है। पीड़िता की माँ ने यह भी बताया कि बोर्डिंग में जब लडकियों के साथ यह गलत कार्य किया जाता था, तो उनके पेट मे दर्द होने की शिकायत वार्डन को करने पर वार्डन द्वारा उन्हें पानी मे ओ.आर. एस. जैसी कोई औषधी पिला दी जाती थी, जिससे उन्हे नींद आ जाती थी। यह पानी केवल लड़कियों को ही पिलाया जाता था।

(स) श्रीमती शीला चितरांगन कोवे (जाति प्रधान) पति श्री चितरांगन कोवे, रहवासी चन्द्रपुर की पुत्री गायत्री, उम्र 13 वर्ष, कक्षा 8 वीं में मे इन्फैंट जीजस इंग्लिश पब्लिक हाईस्कूल, राजुरा, जिला चन्द्रपुर मे विगत आठ वर्षो से अध्ययनरत थी तथा माता अनुसूईया आवासीय हॉस्टल मे

Smt. Maya Chintamn Ivnate
Member
National Commission for Scheduled Tribes
Govt. of India
New Delhi

रहती थी। उनका पुत्र गौरव चितरांगन कोवे भी उसी स्कूल में अध्ययनरत है। परिवार का भरणपोषण पिता चितरांगन कोवे द्वारा मजदूरी करने एवं माता शीला द्वारा घरों मे खाना बनाने/बर्तन साफ करने आदि के कार्य करने से होता है। पीड़िता की माँ ने बताया कि जनवरी माह से अब तक मेरी पुत्री 4 बार बेसुध हो गई थी। जिसे हर बार डॉ. कटवारे के अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मुझे मेरे बेटे द्वारा खबर मिली थी की मेरी बेटी की तबीयत खराब है। मैने अपनी सास को भेजा था एक बार मै भी गई थी। मैं डॉक्टर से मिलना चाहती थी लेकिन मुझे डॉक्टर से बात नही करने दी गई। माह जनवरी मे 6–7 लडकियां बेसुध हो गई थी, 6–7 घंटों तक लड़कियों को होश नही आया था। उन्हे आई.सी.यू. मे भी डाल दिया था, एक रात आई.सी.यू. मे ही रही थी, डिस्चार्ज करके जब मै घर लेकर आई तो मुझे अधीक्षक ने पाचरे ने बताया गया कि डॉक्टर ने कहा है कि लडकिया भूत से डर गई हैं। दिनांक 14–04–2019 को चन्द्रपुर की लोकल टी.वी. न्यूज एवं समाचार पत्रों मे इन्फैंट जीजस इंग्लिश पब्लिक हाईस्कूल, राजुरा, जिला चन्द्रपुर मे लड़कियों के साथ दुष्कर्म की खबर आने पर मुझे पता चला कि छात्राओं का मेडिकल हो रहा है। मुझे लगा कि मेरी बेटी भी कई बार बेसुध हुई है। कहीं ऐसा ही मेरी बेटी के साथ भी न हुआ हो इसलिए मैं भी अपनी बेटी को लेकर मेडिकल कराने पहुंची। तब ज्ञात हुआ कि वो भी अधीक्षक पाचरे और सहायक अधीक्षक लक्ष्मणराव विरूड़कर के द्वारा शारीरिक रूप से कई बार शोषित हुई है। पीडिता की माँ ने यह भी बताया कि पूर्व में किसी भी रविवार को बोर्डिंग स्कूल मे जाने पर बच्चों से मिलने दिया जाता था। पिछले दो साल से यह नियम बदल दिया गया था। केवल प्रथम सप्ताह के रविवार को ही बच्चों से मिलने दिया जाता था। यदि प्रथम सप्ताह के रविवार को नही मिल पाये तो अगले माह के प्रथम सप्ताह मे ही मिलने दिया जाता था। मैंने आदिवासी विभाग मे जाकर शिकायत भी की थी किन्तु किसी ने मेरी शिकायत पर कार्यवाही नहीं की। उन्होंनें यह भी बताया कि होस्टल बहुत ही गंदा रहता था, उसके टॉयलेट एवं बाथरूम भी बहुत गंदे रहते थे। उनकी बेटी एवं बेटे को इंन्फेक्शन भी हो गया था। एक बार वे जब बोर्डिंग स्कूल गई थी तो संचालक सुभाष धोटे राऊण्ड पर आया था मैंने उसको लेकर बैडरूम, बाथरूम दिखाया और गंदगी की शिकायत की थी। पीडिता की माँ ने यह भी बताया कि बच्चों को डराया जाता था। उन्होंनें बताया कि पूर्णिमा के समय मेरी बेटी के साथ यह घृणित कार्य किया गया, तब भी वह बेहोश हो गई थी। मुझे अधीक्षक द्वारा फोन पर बताया गया कि आपकी बेटी पूर्णिमा पर बेहोश हो जाती है, इसे किसी तांत्रिक को दिखाओ और जादू टोना करवाओ।

Smt. Maya Chintamn Ivnate
Member
National Commission for Scheduled Tribes
Govt. of India
New Delhi

पीडिता से प्राप्त जानकारी

जिला प्रशासन के प्रकल्प अधिकारी तथा सहायक प्रकल्प अधिकारी को घटना की जाँच के लिए आयोग के जाँच दल की पहुंचने के बारे मे दूरभाष पर बात की गई थी। उन्हे दूरभाष पर यह भी बताया गया था कि आयोग की माननीय सदस्या पीड़िताओं से मिलेंगी। चन्द्रपुर पहुंचने पर माननीय सदस्या द्वारा प्रकल्प अधिकारी को निर्देश दिए गए की वे पहले माता अनुसूईया आवासीय हॉस्टल की जाँच करने जा रही हैं। लौटने के पश्चात वे पीड़िताओं से मिलेंगी। किन्तु चन्द्रपुर प्रशासन द्वारा पीड़िताओं को माननीय सदस्या के हॉस्टल से लौटने के पश्चात भी नही बुलवाया गया। वन विभाग, चन्द्रपुर के गेस्ट हाउस पहुंचने पर ज्ञात हुआ की एक भी पीड़िता उपस्थित नहीं है। प्रकल्प अधिकारी द्वारा बताया गया कि पीड़िताये अपने–अपने घरों मे गाँव में हैं। किन्तु वहाँ बैठी एक पीड़िता की माता श्रीमती शीला चितरांगन ने आयोग को बताया की उनकी बेटी घर पर है। जिसे वे ला सकती हैं। इसके पश्चात ही पीड़िता गायत्री को माननीय महोदया के समक्ष बुलवाया जा सका। यह स्थिति प्रशासन पर संशय करने की है।

पीडिता गायत्री ने बताया कि स्कूल मे सुबह नाश्ते मे पारलेजी बिस्कुट एवं दूध मिलता था। कभी कभी आलू पोहा, उपमा, उसड, मोठ आदि दिया जाता था। भोजन में आलू बैंगन, पत्ता गोभी आदि की सब्जी तथा दाल–चावल, रोटी दी जाती थी। सब्जी और दाल में पानी की अधिकता रहती थी। रात में हमारे साथ कमरे में कभी ठाकरे ताई एवं कभी लता ताई सोती थी। रात में कमरे में हमे भूत से डराया जाता था। अंधेरे कमरे मे एक चादर ओढे व्यक्ति घूमता रहता था, जिससे लड़किया डर जाती थी। ठाकरे ताई तथा लता ताई (सहायिका) भी हमे डराती थी वे कहती थी की हमारे साथ पढने वाली लडकी आरूषी की माँ, जिसका देहांत कुछ समय पूर्व हो गया था, वही भूत बनकर कमरे मे आती है। उसके साथ चार बार यह घृणित कार्य विरूडकर द्वारा किया गया।

जाँच समिति के दो सदस्यों से प्राप्त जानकारी

उक्त प्रकरण के संम्बंध मे दिनांक 18–04–2019 मा. उच्च न्यायालय खंडपीठ, नागपुर मे फौजदारी रिट याचिका क्रमांक 342/2011 दाखिल की गई। उक्त प्रकरण की जाँच करने हेतु मा. उच्च न्यायालय खंडपीठ, नागपुर द्वारा सत्र व जिल्हा न्यायाधीश, चन्द्रपुर की अध्यक्षता में चार सदस्यीय समिति का गठन किया गया था, जिनकी दो सदस्य श्रीमती प्रभावती एर्कुके (सदस्या), सहायक पुलिस निरीक्षक एवं श्रीमती सीमा गजभिये, तहसीलदार, गोंडपिपरी से आयोग के जाँच दल द्वारा प्रकरण के सम्बंध मे जानकारी प्राप्त की गई। जिनके मुख्य बिन्दु निम्नानुसार है :–

❖ उन्होने बताया कि हमने 28 लड़कियों का बयान लिये हैं, जिसमे से 11 का मेडिकल हुआ 8 लडकियों का मेडिकल पॉजीटिव आया और 3 लडकियों का नेगेटीव आया है। अन्य

Smt. Maya Chintamn Ivnate
Member
National Commission for Scheduled Tribes
Govt. of India
New Delhi

लडकियों का मेडिकल विभाग/पुलिस द्वारा नहीं कराया गया। उनके विचार से सभी 129 लड़कियों का मेडिकल करवाया जाना चाहिए। उनके अनुसर 28 लड़किया माईनर ही है जबकि हॉस्टल मे बडी आयु की लड़किया भी है। उनका मेडिकल भी अवश्य करवाना चाहिए।

❖ उन्होने बताया कि लडकियों से पूछताछ करना बहुत कठिन था, प्रारंम्भ में वे कुछ भी बताने को तैंयार नही थी। दो–तीन दिन वे उनके साथ खेल खेलते रहे, ड्राईंग बनाई, डांस किया, गाने सुने, उनको अपना दोस्त बनाया, फिर उनको बताया कि अधीक्षक, वार्डन तथा दोनों सहायिका इस समय जेल मे हैं और उनकी बहुत पिटाई हो रही है। तब वे कुछ हंसी और फिर उन्होंनें पुछा कि क्या वे जेल से छुट जायेंगे। हमने बताया कि वो अब जेल से नहीं छुटेंगे, तब उन्होने अपने साथ हुए दुष्कर्म के बारे में बात की।

❖ दुष्कर्म पीड़िताओं ने यह भी बताया कि उन्होनें अपनी सहायिका कल्पना ठाकरे को दुष्कर्म के बारे मे बताया था, साथ ही दुष्कर्म उपरांत उनको होने वाले शारीरिक कष्ट के बारे मे भी बताती थी। कल्पना ठाकरे पीडिताओं को ओ.आर.एस. के साथ कोई घोल बनाकर पीने के लिए देती थीं तथा एक ट्यूब लोकल इस्तेमाल के लिए भी देती थीं।

❖ दुष्कर्म छात्राओं के साथ अधीक्षक के कमरे, बाथरूम, टॉयलेट तथा छात्राओं के सोने के स्थान पर किया जाता था।

❖ पीड़ित छात्राएं यह बताने मे असमर्थ है कि किस दिनांक को उनके साथ दुष्कर्म हुआ। वे बस इतना बताती है, शिवरात्रि से पहले, गुडी पडवा के बाद, दशहरे के पहले आदि।

❖ दोनों सदस्यों ने यह भी बताया कि विगत दो वर्षो से भिरूडकर सहायक अधीक्षक के आने के बाद यह कार्य अधिक होने लगा था।

❖ दोनों सदस्यों ने बताया कि दुष्कर्म पीडित छात्राओं की माताओं को समझाना भी बहुत कठिन रहा। वे इस बात को मानने के लिए मानसिक रूप से तैयार ही नही थी कि उनकी नाबालिग पुत्रियों के साथ दुष्कर्म हुआ है। कुछ मातायें सहयोग नहीं कर रहीं थीं, उन्हे यह भी भय था कि उनकी पुत्रियों के साथ हुये इस दुष्कर्म के कारण समाज मे उनकी बदनामी होगी और भविष्य मे उनकी पुत्रियों के साथ विवाह सम्बंध करने मे भी परेशानी होगीं। अस्पताल मे भर्ती दो लडकियों मे से एक की माँ ने तो यहा तक कहा कि ''मेरी बेटी का जो चला गया है, क्या तुम उसे वापस ला सकते हो।'' किन्तु बाद मे उन्हे समझाने पर वे सहयोग के लिए तैयार हो गई।

Smt. Maya Chintamn Ivnate
Member
National Commission for Scheduled Tribes
Govt. of India
New Delhi

❖ उन्होने ने यह भी बताया कि अभिभावक अपनी पुत्रियों के साथ हुये इस दुष्कर्म के पश्चात आने वाली आंतरिक चोटों हेतु डॉक्टरी सलाह तथा ईलाज के लिए भी तैयार नही थे और ना ही वे अपनी पुत्रियों की काउसंलिग करवाना चाहते थे।

❖ उन्होने यह भी बताया कि अभी तक पूछताछ में यह ज्ञात हुआ है कि यह दुष्कर्म माईनर लड़कियों के साथ ही किया गया जिनकी माहवारी भी आरम्भ नही हुई है।

जिला चन्द्रपुर के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आयोग द्वारा की गई चर्चा

दिनांक 02–05–2019 की बैठक में माननीय सदस्या, श्रीमती माया चिंतामन इवनाते, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली, श्री खूनाल खेमणार, जिला कलेक्टर, डॉ. एम.सी.वी. महेश्वर रेड्डी, पुलिस अधीक्षक, चन्द्रपुर, श्री योगेश कूंमेजकर, सहा. जिल्हाधिकारी तथा प्रकल्प अधिकारी, चन्द्रपुर, श्री डी.एम. हेडाऊ, सहायक आयुक्त, आदिवासी अपर आयुक्त, नागपुर, श्री पी. कूलकर्णी, सहायक आयुक्त, सामाजिक न्याय विभाग, श्री दिपेन्द्र लोखंडे, शिक्षण अधिकारी, श्री संजय डोर्लीकर, शिक्षण अधिकारी, एवं श्री निलय राठोड, सहायक प्रकल्प अधिकारी, चन्द्रपुर उपस्थित थे।

कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा आयोग को बताया गया कि इन्फैंट जीजस इंग्लिश पब्लिक हाईस्कूल, राजुरा, जिला चन्द्रपुर मे छात्राओं के साथ हुई उक्त घटना के बाद इस स्कूल की मान्यता को रद्द करके कक्षा 3 से 9 तक के सभी विद्यार्थियों को एकलव्य आवासीय पब्लिक स्कूल, देवाडा, जिला चन्द्रपुर मे समायोजित करने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। साथ ही एकलव्य आवासीय पब्लिक स्कूल, देवाडा मे निम्न कार्य करने का प्रस्ताव भी भेजा गया है :–

1. एकलव्य आवासीय पब्लिक स्कूल, देवाडा मे कक्षा 3 से 9 वी तक के विद्यार्थियों को समायोजित किया जायेगा। एकलव्य आवासीय पब्लिक स्कूल की एक नई ईमारत जोकि निर्माणाधीन है उसमे कक्षा 6 से 12 वी तक के बच्चो को रखा जायेगा।
2. कक्षा 6 से 8 वी तक तीन नियमित शिक्षक (गणित, समाजशास्त्र, हिन्दी) इसी प्रकार कक्षा 9 से 10 वी तक 2 नियमित शिक्षक (अग्रेजी एवं अन्य), कक्षा 6 से 10 वी तक क्रीडा शिक्षक उसी प्रकार कक्षा 3 से 5 तक 5 शिक्षक नये बेच हेतु, कक्षा 7 व 8 की नये बेच के लिए 3 शिक्षक (अग्रेजी, गणित व विज्ञान), 1 पहरेदार एवं 1 सफाई कर्मचारी इतने पदों पर जब तक स्थाई नियुक्ति नही होती तब तक बाहरी स्त्रोतों से इनकी पूर्ती करने की मंजूरी दी गई है।

Smt. Maya Chintamn Ivnate
Member
National Commission for Scheduled Tribes
Govt. of India
New Delhi

3. इन्फैंट जीजस इंग्लिश पब्लिक हाईस्कूल, राजुरा, जिला चन्द्रपुर के विद्यार्थियों का समायोजन एकलव्य आवासीय पब्लिक स्कूल मे करके सभी छात्र–छात्राओं के देखभाल एवं संरक्षण की जिम्मेदारी विद्यमान अधीक्षक एवं अधीक्षिका को दी जायेगी।

4. अतिरिक्त सभी छात्र–छात्राओं के भोजन की व्यवस्था एकलव्य आवासीय पब्लिक स्कूल, देवाडा के लिए की गई भोजन व्यवस्था से की जायेगी।

5. जिस कक्षा के लिए केन्द्र सरकार से अनुदान प्राप्त नही हो रहा है, उस कक्षा के विद्यार्थियों का खर्चा लेखाशीर्ष 2225–डी 734 के मद से दी जायेगी।

6. उसी प्रकार विद्यालय मे हुये उक्त घटना के कारण विद्यार्थियों को हुये मानसिक तनाव को कम करने के लिए प्रकल्प कार्यालय के द्वारा तीन दिवसीय समर केम्प लगाने का निर्णय लिया गया है।

7. कलेक्टर, चन्द्रपुर ने बताया कि पीडित छात्राओं को मानसिक आघात से निकालने के लिए श्रीमती प्रतिभा गजभिये की नियुक्ति की गई है। जिनको इस प्रकार के पीडितों का मानसिक इलाज करने का 17 वर्ष का अनुभव है। उन्होने यह भी बताया कि श्रीमती इशरत जहाँ, वरिष्ठ सलाहकार, वेस्ट मुंबई को भी इस कार्य मे उनका साथ देने के लिए नियुक्त किया गया है।

<u>माननीय सदस्या, श्रीमती माया चिंतामन इवनाते, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा बैठक में निम्नलिखित बिन्दुओं पर कार्यवाही करने को कहा गया :–</u>

1. आयोग ने कलेक्टर, चन्द्रपुर से कहा कि यह एक गम्भीर, संवेदनशील प्रकरण है। हॉस्टल मे रहने वाली सभी छात्राओं का मेडिकल होना चाहिए ताकि यदि अन्य पीड़ितायें भी है तो उन्हें भी शासन द्वारा संरक्षण प्रदान हो। **(कार्रवाईः कलेक्टर, चन्द्रपुर)**

2. अधीक्षक पचारे द्वारा पीड़ित छात्राओं को इलाज हेतु केवल डॉ. कटवारे के पास ले जाया गया। डॉ. कटवारे उनका ईलाज भी करते रहे। डॉ. कटवारे ने जानबूझ कर इस कृत्य में अधीक्षक पाचरे का साथ दिया है। यदि वे पुलिस अथवा अन्य एजेंसी को पहले ही बता देते तो अनुसूचित जनजातियों की इतनी लडकियां इस दुष्कर्म की पीड़ा से बच जाती। अतः डॉ. कटवारे अधीक्षक, पाचरे के कृत्य मे सम्मिलित है अतः उन्हे भी अपराधी मानकर गिरफ्तार किया जाना चाहिए। **(कार्रवाईः पुलिस महानिदेशक महाराष्ट्र शासन, पुलिस महानिदेशक, नागपुर संभाग)**

Smt. Maya Chintamn Ivnate
Member
National Commission for Scheduled Tribes
Govt. of India
New Delhi

3. इन्फैंट जीजस इंग्लिश पब्लिक हाईस्कूल, राजूरा, जिला चन्द्रपूर तथा माता अनुसूईया आवासीय हॉस्टल के संचालक श्री सुभाष धोटे, सदस्य श्री अरूण धोटे तथा विद्यालय के संचालक मंडल के सभी सदस्य अपराधी है, जिनके ऊपर अपराधिक प्रकरण दर्ज कर 376 , POCSO Act. PoA act लगाकर गिरफ्तार किया जाना चाहिए। आयोग के जाँच दल ने कलेक्टर को पाडा, जिला बुलढाणा में नवम्बर 2016 में हुई इसी प्रकार की घटना का हवाला देते हुए बताया कि बुलढाणा कलेक्टर द्वारा संचालक मंडल के सभी सदस्यों को उक्त एक्ट लगाकर गिरफ्तार किया गया था। ऐसी ही कार्यवाही चन्द्रपुर जिले से क्यो नही की गई। **(कार्रवाईः पुलिस महानिदेशक महाराष्ट्र शासन, पुलिस महानिदेशक, नागपुर संभाग)**

4. महाराष्ट्र शासन द्वारा बुलढाणा की घटना के पश्चात पांच सदस्यीय महिला अधिकारियों की एक समिति बनाई गई थी। गई। इस महिला समिति को महाराष्ट्र राज्य में शासकीय अनुदान से संचालित एवं महाराष्ट्र शासन द्वारा संचालित सभी आश्रम शालाओं का निरीक्षण करने का कार्य दिया गया। उसे 13 बिंदुओं की एक निरीक्षण प्रश्नावली दी गई। जिसमें आश्रम शाला में पर्याप्त एवं स्वतंत्र कमरे, बालिका विद्यार्थियों की आश्रम शालाओं में महिला अधीक्षकों की नियुक्ति, पर्याप्त शौचालय एवं स्नानघर, उनकी स्थिति एवं उनमें पानी की सुचारू व्यवस्था, आगंतुकों के लिये रजिस्टर एवं टोल फ्री शिकायत फोन नं. आदि की जानकारी देना सम्मिलित है। जो सभी हॉस्टल/आश्रम शालाओं मे जाकर छात्राओं की रिपोर्ट प्राप्त करती है। कलेक्टर से इस समिति द्वारा माता अनुसूईया आवासीय हॉस्टल की निरीक्षण रिपोर्ट मांगी गई। कलेक्टर ने अवगत कराया कि महाराष्ट्र शासन के नियमानुसार यह समिति नामांकित शालाओं का निरीक्षण नही करती है। माननीय महोदया ने कलेक्टर से कहा कि महाराष्ट्र शासन के सभी नामांकित शालाओं मे भी समिति का निरीक्षण होना चाहिए। **(कार्रवाई : प्रधान सचिव आदिवासी कल्याण विभाग, महाराष्ट्र शासन)**

5. आयोग द्वारा कलेक्टर चन्द्रपुर से कहा गया कि हॉस्टल को मिलने वाले अनुदान को तुरंत रोका जाये। पिछले तीन वर्ष के अनुदान जोकि लगभग चार करोड रुपये है की रिकवरी की जाये। कलेक्टर, चन्द्रपुर ने बताया कि विभाग द्वारा इस ओर कार्यवाही की जा रही है। **(कार्रवाई : प्रधान सचिव, आदिवासी कल्याण विभाग, महाराष्ट्र शासन)**

6. आयोग ने यह भी कहा कि सभी हॉस्टल शालाओं में तथा विद्यालयों मे 'बैड–टच तथा गुड–टच' अवेयरनेस प्रोग्राम लागू किया जाये ताकि सभी विद्यार्थी **'टच'** जानकारी से अवगत हो सके। आयोग ने यह भी कहा कि विभाग द्वारा महिला अधिकारियों की एक जिला स्तरीय समिति गठित की जाये जो आश्रम शालाओं में औचक निरीक्षण करें। **(कार्रवाई : प्रधान सचिव, आदिवासी कल्याण विभाग, महाराष्ट्र शासन तथा कलेक्टर, चन्द्रपुर)**

Smt. Maya Chintamn Ivnate
Member
National Commission for Scheduled Tribes
Govt. of India
New Delhi

7. आयोग ने सेल्फ डिफेन्स हेतु छात्र–छात्राओं को जूडो कराटे सिखाने के लिए प्रशिक्षक रखने की आवश्यकता बताई। छात्राओं को विशेषकर स्कूल के पश्चात संध्या काल मे हॉस्टल/बोर्डिंग स्कूल मे ही सेल्फ डिफेन्स का प्रशिक्षण अवश्य दिया जाये। **(कार्रवाईः कलेक्टर, चन्द्रपुर)**

8. सहायक प्रकल्प अधिकारी, कार्यालय अपर आयुक्त आदिवासी विकास, नागपुर के कार्यालय द्वारा मार्च 2019 के अन्त मे एक रिपोर्ट दी गई है। जिसके सभी बिन्दु अनुशंसा करते है कि इस नामांकित विद्यालय तथा माता अनुसूईया आवासीय हॉस्टल का अनुदान जारी रखा जाये। यदि यह रिपोर्ट लेने वाले अधिकारी जागरूक तथा नैतिक जिम्मेदारी के साथ रिपोर्ट देते तो घटना से पूर्व ही प्रशासन को बताया जा सकता था। अतः रिपोर्ट देने वाले सहायक प्रकल्प अधिकारी, कार्यालय अपर आयुक्त आदिवासी विकास, नागपुर पर भी कार्यवाही कर उन्हे निलंम्बित एवं अन्य अनुसूचित जनजाति बहुल जिले में स्थानांतरित किया जाना चाहिए। **(कार्रवाईः प्रधान सचिव, आदिवासी कल्याण विभाग, महाराष्ट्र शासन)**

9. आयोग ने कलेक्टर को कहा कि पीडिताओं को अभी तक सहायता राशि नही दी गई है। कलेक्टर महोदय ने बताया कि जिले मे सहायता राशि के अभाव के कारण यह राशि का वितरण अभी तक नही हो पाया है। शीघ्र ही आयोग को राशि वितरण की सूचना दी जायेगी। **(कार्रवाईः कलेक्टर, चन्द्रपुर)**

10. आयोग ने कलेक्टर चन्द्रपुर को कहा कि पीडित छात्राओं के अभिभावकों को राज्य स्तरीय योजनाओं का लाभ दिया जाये क्योकि सभी छात्राओं के अभिभावक गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे है। उन्हे घरकुल योजना, स्वाभीमान योजना तथा महाराष्ट्र शासन की रोजगार योजना का लाभ दिया जाये। **(कार्रवाईः कलेक्टर, चन्द्रपुर)**

11. आयोग ने यह भी कहा कि पीडित छात्राओं की पढाई पूर्ण होने तक उन्हे विशेष संरक्षण मे रखा जाये तथा यह आश्वासन दिया जाये कि उनकी शिक्षा पूर्ण होने पर उन्हे शासकीय नौकरी प्रदान की जायेगी। **(कार्रवाईः कलेक्टर, चन्द्रपुर)**

12. प्रकल्प अधिकारी चन्द्रपुर द्वारा घटना से सम्बंधित सभी दस्तावेज आयोग के जॉच दल को मीटिंग के दौरान ही दिए गए जबकी आयोग का जॉच दल 6 घंटे पूर्व चन्द्रपुर पहुच गया था। उनके द्वारा बार–बार मागने पर भी पूर्ण जानकारी नही दी गई है। यह संशय का विषय है। **(कार्रवाईः कलेक्टर, चन्द्रपुर)**

Smt. Maya Chintamn Ivnate
Member
National Commission for Scheduled Tribes
Govt. of India
New Delhi

<u>आयोग द्वारा की गई जॉच के पश्चात महाराष्ट्र राज्य शासन से की जाने वाली अनुशंसा</u>

1. जिला प्रशासन द्वारा दी गई जानकारी एवं जॉच दल द्वारा पीडित छात्राओं तथा उनके अभिभावकों से ली गई जानकारी के तथ्यों मे अन्तर पाया गया है। जिससे स्पष्ट होता है कि जिला प्रशासन द्वारा घटना के सामने आने के बाद भी कार्यवाही करने मे विलम्ब किया गया। यह एक घोर लापरवाही है। जिला प्रशासन द्वारा की गई कार्यवाही पर आयोग संतुष्ट नही है। दिनांक 06–04–2019 से 18–04–2019 तक सूचारू कार्यवही नही होने के कारण ही पीडितों को न्यायालय की शरण मे जाना पडा। अतः सभी जिला स्तरीय प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही पूर्ण कार्यवाही पर प्रश्नचिन्ह उठता है। **(कार्रवाईः मुख्य सचिव महाराष्ट्र शासन)**

2. प्रकल्प अधिकारी द्वारा भी तुरंत कार्यवाही करने की जिम्मेदारी नही ली गई। पाडा, बुलढाणा की घटना के पश्चात जिला प्रशासन द्वारा की गई कार्यवाही की भाति ही प्रकल्प अधिकारी एवं सहायक प्रकल्प अधिकारी, चन्द्रपुर को तुरंत निलम्बित तथा अन्य अनुसूचित जनजाति बहुल जिले में स्थानांतरित किया जाना चाहिए साथ ही उनके वार्षिक प्रतिवेदन में अंकित किया जाये। **(कार्रवाईः प्रधान सचिव, आदिवासी कल्याण विभाग, महाराष्ट्र शासन)**

3. माता अनुसूईया आवासीय हॉस्टल, राजुरा मे कार्यरत सफाई कर्मचारी, रसोईया, केयर टेकर आदि स्टॉफ वर्ग से पूछताछ के विषय में कोई जानकारी प्राप्त नही है। इन सभी सदस्यों की भी गिरफ्तारी की जानी चाहिए थी। **(कार्रवाईः पुलिस महानिदेशक महाराष्ट्र शासन, पुलिस महानिदेशक, नागपुर संभाग)**

4. सभी आवासीय विद्यालयों मे निवासरत विद्यार्थियों को अपने अभिभावकों से मिलने का समय सप्ताह मे एक बार कभी भी निर्धारित किया जाये। साथ ही विद्यार्थियों को दूरभाष पर अपने अभिभावकों से बात करने की सुविधा उपलब्ध की जाये। **(कार्रवाईः प्रधान सचिव, आदिवासी कल्याण विभाग, महाराष्ट्र शासन)**

5. माननीय सदस्या, श्रीमती माया चिंतामन इवनाते, ने चन्द्रपुर कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, प्रकल्प अधिकारी, सहायक आयुक्त, नागपुर सभी से प्रकरण की एफ.आई.आर., मेडिकल रिपोर्ट एवं ऑडिट रिपोर्ट सहित कई दस्तावेज मांगे थे। किन्तु एफ.आई.आर., मेडिकल की रिपोर्ट तथा ऑडिट रिपोर्ट की कॉपी नही दी गई। रिपोर्ट लिखे जाने तक जिला प्रशासन के अधिकारियों से बार–बार दूरभाष पर रिपोर्ट भेजने की मांग पर भी तीनों रिपोर्ट नही भेजी गई है। यह एक गम्भीर प्रकरण है जिसमे एफ.आई.आर. तथा मेडिकल की रिपोर्ट एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। रिपोर्ट आयोग को उपलब्ध नही करवाना जिला प्रशासन का आयोग की अवमानना तथा जाँच मे सहयोग नही करना दर्शाता है। **(कार्रवाईः मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन)**

Smt. Maya Chintamn Ivnate
Member
National Commission for Scheduled Tribes
Govt. of India
New Delhi

6. कलेक्टर, चन्द्रपुर द्वारा पीड़िताओं को दी जाने वाली सहायता राशि के चेक के प्रतिलिपि आयोग को उपलब्ध कराई गई है। इस चेक मे केवल रु. 800000/– (आठ लाख मात्र) दिये गये है। दिनांक 03–05–2019 को बैठक मे इस विषय पर विस्तृत चर्चा हुई थी कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 2015 के अनुसार भा. द.वि. 376 की धारा लगने पर अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 2015 धारा 3 (i) (w) (i), 3 (2) (V) के अन्तर्गत राहत राशि रु. 400000/– चार लाख रुपये पीडिता को दिये जाने का प्रावधान है। नियमानुसार रु. 400000/– की राशि का 50 प्रतिशत मेडिकल की पुष्टि होने पर, 25 प्रतिशत प्रकरण के न्यायालय मे जाने पर तथा शेष 25 प्रतिशत राशि न्यायालय के फैसले के आने पर दी जाती है। किन्तु कलेक्टर, चन्द्रपुर द्वारा चर्चा होने के उपरांत भी प्रति पीडिता राशि रु. 200000/– के स्थान पर रु. 100000/– एक लाख रुपये ही सहायता राशि आवंटित की गई हैं। आयोग ने इसे गंभीरता से लिया है। **(कार्रवाईः प्रधान सचिव, आदिवासी कल्याण विभाग, महाराष्ट्र शासन)**

7. प्रकरण की वर्तमान स्थिति मे प्रकरण पर सी.आई.डी. द्वारा जाँच की जा रही है। सी.आई.डी. की जाँच के उपरांत प्रकरण माननीय न्यायालय मे पेश किया जायेगा। पीडिताओं के अभिभावकों को न्यायालयीन कार्यवाही हेतु राजकीय वकिल की सहायता दी जाये। **(कार्रवाईः कलेक्टर, चन्द्रपुर)**

8. सभी बालिकाओं की आश्रम शालाओं तथा नामांकित शालाओं मे महिला अधीक्षिका एवं सभी सहायक स्टॉफ में महिलाओं को ही नियुक्ति दी जाये। **(कार्रवाईः प्रधान सचिव, आदिवासी कल्याण विभाग, महाराष्ट्र शासन)**

9. आयोग के जाँच दल ने अधिकारियों के साथ चर्चा करते समय कहा कि पाडा जिला बुलढाणा की घटना एक व्हिसिल ब्लोअर थी। पाडा जिला बुलढाणा की घटना के पश्चात भी आयोग द्वारा घटना की जाँच की गई थी तथा महाराष्ट्र शासन से अनुशंसा की गई थी कि वे इस प्रकार की घटना को पुनः ना होने देने के लिये विशेष प्रयास करें। उनके द्वारा समिति का गठन भी किया गया किन्तु वो कौन से कारण थे की गठित समिति नामांकित विद्यालयों में जाँच नही कर सकती थी। यह एक संशय का कारण है। आयोग पुनः महाराष्ट्र शासन से अनुरोध करता है कि गठित समिति उच्च स्तर के अधिकारियों की हो। जो सभी आश्रम शालाओं, नामांकित शालाओं का निरीक्षण तथा सूक्ष्म अध्ययन कर समस्याग्रस्त आश्रम शालाओं, नामांकित शालाओं पर उचित कार्रवाई करें। अनुदानित आश्रम शालाओं में यदि किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त होती है तो उसका अनुदान तत्काल प्रभाव से रोकते हुए दंडित कार्रवाई की जाना चाहिए ताकि सभी संस्थाओं में यह संदेश पहुँचे और वे

Smt. Maya Chintamn Ivnate
Member
National Commission for Scheduled Tribes
Govt. of India
New Delhi

अनुशासनहीनता एवं लापरवाही से आश्रम शालाओं तथा नामांकित शाला को ना चलाते हुए नियमानुसार अपनी सेवाएं आश्रम शाला तथा नामांकित शाला को दे। **(कार्रवाईः प्रधान सचिव, आदिवासी कल्याण विभाग, महाराष्ट्र शासन)**

10. सभी आश्रम शालाओं एवं नामांकित शालाओं मे सी.सी. टी.वी. कैमरा अवश्य लगवाये जाये तथा यह सुनिश्चित किया जाये कि उनकी उनकी रिर्कांडिंग का संग्रह सुचारूरूप से हो। **(कार्रवाईः प्रधान सचिव, आदिवासी कल्याण विभाग, महाराष्ट्र शासन)**

11. वर्तमान में प्रकरण की जाँच सी.आई.डी. द्वारा की जा रही है। आयोग यह अनुशंसा करता है कि सी.आई.डी. की जाँच शीघ्रता से पूर्ण हो तथा प्रकरण को न्यायालय के समक्ष रखा जाये। **(कार्रवाईः पुलिस महानिदेशक महाराष्ट्र शासन, पुलिस महानिदेशक, नागपुर संभाग)**

12. जिला चन्द्रपुर की यह घटना पूरे देश को उव्देलित करने की घटना है। इस असामाजिक, घृणित, असंवेदनशील घटना के पश्चात महाराष्ट्र शासन, जिला प्रशासन द्वारा नियमानुसार कार्यवाही नही की गई तथा कार्यवाही करने मे भी विलम्ब किया गया। यह उनके कार्य में उदासीनता दर्शाता है तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रति असंवेदनशीलता भी दर्शाता है। ऐसा अनुभव होता है कि इस घटना मे अन्य अपराधी भी सम्मिलित हैं जिन्हे प्रशासन द्वारा बचाया जा रहा है। अनुसूचित जनजाति परिवारों की मासूम छोटी–छोटी बालिकाएं घृणित मानसिकता की शिकार हुई है। अतः उपरोक्त सभी बिन्दुओं को ध्यान मे रखते हुये आयोग यह अनुशंसा करता है कि प्रकरण पर आयोग स्तर पर एक जॉच समिति गठित की जाये जो इस प्रकरण की सूक्ष्मता से विस्तृत जॉच कर अपनी रिपोर्ट महामहिम राष्ट्रपति को सौपे। **(कार्रवाईः राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग)**

मा. श्रीमती माया चिंतामन इवनाते

सदस्या,

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली